

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
8/2014	212, RTA	आंचौली	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
सैय्यद ताहिर	बनाम	राजकुमारी वगै०	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** **विविध संदर्भ**

25.6.14
 अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी को सुना गया, रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी गण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम आंचौली तहसील छबड़ा के ख0न0 261/4 रकवा 03.08 बीघा, पर जबाव पेश होने तक यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.08.2014 को पेश हो।

4.8.14
 आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22.9.14 को पेश हो।
 रीडर
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा / बारा

22-9-14
 आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 12-11-14 को पेश हो।
 रीडर
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा / बारा

12-11-14
 आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 7-1-15 को पेश हो।
 रीडर
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा / बारा

7/1/15
 आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 6/5/15 को पेश हो।
 रीडर
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा / बारा

68/2014

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

23-10-24

पत्रावली पेश हुई कमील जमी उमर कदम
अलिगढ़ जमी हुनी गढ़ पत्रावली नोट बाइक
दिनांक 30-10-24 को पेश हो

30-10-24

पत्रावली पेश हुई कमील जमी उमर
जमी का प्रश्न काद कोरेड किया जा चुका
है, उक्त प्रकरण के खिलाफ प्रमाण ही को
कार्यवाही कोषावली नहीं ही जमी का प्रमाण
पत्र कोरेड किया जाता ही पत्रावली प्रमाण
प्रमाण कोरेड काद तालील तालील के
दाखिल दफतर हो

क इतक 2-2 के विभागीय अधिकारी द्वारा
के सीपी अवरुध विभागीय प्रमाण के लिए प्रमाण
... 18 वर्ष के ... 20 ... का ...
...
...
...